डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर.

पंजी. क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 48] रायपुर, गुरुवार , दिनांक 7 मार्च 2002—फाल्गुन 16, शक 1923

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

संशोधित प्रति

रायपुर, दिनांक 8 मार्च 2002

क्रमांक-1/4/2002/326.—भारत सरकार विधि न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 7 मार्च, 2002 सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है.

अजय सिंह,
पदेन सचिव.

भारत सरकार
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2002, 16 फाल्गुन, 1923 (शक)

अधिसूचना

का. आ. (अ).—राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से अपेक्षा करते हैं कि वे उक्त अधिनियम के और उसके अधीन बनाएं गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार उक्त सारणी के स्तंभ (3) में प्रत्येक राज्य के सामने विनिर्दिष्ट संख्या में राज्य सभा के सदस्यों के स्थान भरने के प्रयोजन के लिए, जो अपनी पदावधि के अवसान पर सारणी के स्तंभ (4) में उल्लिखित तारीख को निवृत्त हो रहे हैं, सदस्य निर्वाचित करें :

सारणी

क्र. सं. (1)	राज्य का नाम (2)	भरे जाने वाले स्थानों की संख्या (3)	निवृत्ति की तारीख (4)
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	9-4-2002
2.	असम	3	9-4-2002
3.	बिहार	5	9-4-2002
4.	छत्तीसगढ़	2	9-4-2002
5.	गुजरात	4	9-4-2002
6.	हरियाणा	2	9-4-2002
7.	हिमाचल प्रदेश	1	9-4-2002
8.	झारखंड	2	9-4-2002
9.	कर्नाटक	4	9-4-2002
10.	मध्यप्रदेश	3	9-4-2002
11.	राजस्थान	3	9-4-2002

[फा. सं. एच. 11024 (3)/2002-वि. 2/2]

(सुभाष सी. जैन)
सचिव, भारत सरकार.

Government of India
Ministry of Law, Justice & Company Affairs
(Legislative Department)

New Delhi, the 7th March, 2002, 16 Phalgun, 1923 (Saka)

NOTIFICATION

S. O. (E).—In pursuance of Section 12 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of each State specified in column (2) of the Table below, to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, the number of members specified against each State in column (3) of the said Table, for the purpose of filling the seats of members of the Council of States whose term of office is due to expire or would have expired on the date mentioned in column (4) of the Table, on the expiration of their term of office :

TABLE

Sl. No. (1)	Name of the State (2)	No. of seats to be filled (3)	Date of retirement (4)
1.	Andhra Pradesh	6	9-4-2002
2.	Assam	3	9-4-2002
3.	Bihar	5	9-4-2002
4.	Chhattisgarh	2	9-4-2002
5.	Gujarat	4	9-4-2002
6.	Harayana	2	9-4-2002
7.	Himachal Pradesh	1	9-4-2002
8.	Jharkhand	2	9-4-2002
9.	Karnataka	4	9-4-2002
10.	Madhya Pradesh	3	9-4-2002
11.	Rajasthan	3	9-4-2002

[F. No. H 11024 (3)/2002-Leg. II/2]

(Subhash C. Jain)
Secretary to the Government of India.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.